

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 20/2019

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :- श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाराँ

(प्रार्थी)

बनाम

- 1- श्री पुरुषोत्तम राठोर पुत्र नन्दलाल राठोर उम्र 38 वर्ष जाति राठौर निवासी मैन मार्केट वार्ड नं0 12 अन्ता जिला बाराँ (मालिक व विक्रेता) मैसर्स श्री राठौर ऐजेन्सी, सीसवाली रोड अन्ता जिला बाराँ
- 2- श्री दिलीप कुमार हेमनानी पुत्र परसराम हेमनानी निवासी 181, शॉपिंग सेन्टर कोटा। मैसर्स सुमित ऐजेन्सी 181, शॉपिंग सेन्टर कोटा।
- 3- श्री सुनिल कुमार गौतम पुत्र जगमाल निवासी 130 देरी मच्छा ग्राम धरमानिकपुर, थाना दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 203207 (नोमिनी) VRS FOOD LTD. Unit- VT ABC- 2, Malanpur Ind . Area, Dist. Bhind (M.P.) 477116
- 4- VRS FOOD LTD. Unit- VT ABC- 2, Malanpur Ind . Area, Dist. Bhind (M.P.) 477116

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

- उपस्थिति :- 1- श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वयं)
2- श्री जितेन्द्र सिंह अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 30.12.2019

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये :- श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाराँ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.8.2018 को मैसर्स श्री राठौर ऐजेन्सी, सीसवाली रोड अन्ता जिला बाराँ पर पहुंचा। वहाँ पर श्री पुरुषोत्तम राठोर पुत्र नन्दलाल राठोर (मौक पर मौजूद विक्रेता व मालिक) की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 23.8.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाराँ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बाराँ आवंटित किया गया है और जिला बाराँ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ देशी घी (पारस) 01 लीटर पैक में विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय

लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस) 01 लीटर पैक** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस) 01 लीटर पैक** का 01 मूल पैके वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री पुरुषोत्तम राठोर पुत्र नन्दलाल राठोर (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) को 330/- रुपये (अक्षरे तीन सौ तीस रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस) 01 लीटर पैक** को खोलकर तपेली में तुलवाकर एक स्वरूप कर चार नमूना भागों में बराबर-बराबर कर, खाली साफ एवं सुखी काँच की शीशीयों में बराबर-बराबर भरकर, प्रत्येक शीशीयों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-840 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में पोलिपैक पाउच के साथ लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी. ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-840 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तों में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री पुरुषोत्तम राठोर पुत्र नन्दलाल राठोर ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में स्वयं द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/171 दिनांक 24.9.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 518/FSSA /Kota/ Act/2018 /544 दिनांक 12.9.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस) 01 लीटर पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स श्री राठौर ऐजेन्सी, सीसवाली रोड अन्ता जिला बारों से पत्रांक 185 दिनांक 9.10.2018 से सूचना चाही गई। मैसर्स श्री राठौर ऐजेन्सी, सीसवाली रोड अन्ता जिला बारों द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञापत्र एवं क्वय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 1.8.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ने रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा मय अभिभाषक के उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर, प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस) 01 लीटर पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनों को दोहराते हुये कहा गया कि उक्त घी जांच रिपोर्ट में सही पाया गया है जिसकी किसी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है और कोई व्यक्ति घी को खाने से बीमार भी नहीं हुआ है। उक्त घी मिथ्याछाप होना जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया है जिसे भी दुरुस्त किया जा चुका है। जिसकी प्रति भी पत्रावली में शामिल करवा दी गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दूसरे प्रकरण ओम प्रकार नटानी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खण्डपीठ ने आपराधिक रिट याचिका क्रमांक 287/2014 दिनांक 19.2.2015 में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि शब्द " के अन्दर " जोड़ा गया था परन्तु यह आशय नहीं बदलता है अतः इसे कड़े शब्दों में एक गलत ब्रांडिंग का प्रकरण होना नहीं कहा जा सकता है। विद्वान ए.ओ./ए.डी.एम. द्वारा पारित चुनौती दिये गये आदेश को निरस्त किया जाता है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना उचित है कि सैंपल ली गई वस्तु में पाई गई घोषणा पैकेजिंग की तारीख से 9 से पहले सबसे अच्छा थी, जिसमें कि उत्पाद की विशुद्धता के बारे में ग्राहकों को वांछित जानकारी की अपेक्षा कहीं अधिक जानकारी दी। अधिशेष समय के लिए तिथि का प्रयोग मात्र उत्तर देने वाले प्रतिवादीगणों को दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं लायेगा। किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहकों को उत्पाद की प्रकृति मात्रा गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि अथवा इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी कार्यवाही निरस्त की जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 518/FSSA /Kota/ Act/2018/544 दिनांक 12.9.2018 से असन्तुष्ट थे, तो अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ने पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जांच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच नहीं करवायी गई है।

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से वास्ते नमूना जाँच कय किया गया, खाद्य पदार्थ **देशी घी (पारस) 01 लीटर पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 518/FSSA /Kota/ Act/2018/544 दिनांक 12.9.2018 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1,2,3 प्रत्येक को 1000/- 1000/-रूपये एवं अप्रार्थी क्रम 4 को 7000/- रूपये पत्रावली मे कुल जुर्माना राशि 10,000/- रूपये अक्षरे दस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवाकेन्द्र से चालान निकलवाकर, जयें चालान बैंक मे निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

